न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं.

पीठासीन अधिकारी ::: सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 93 / 2021

सरकार बनाम बिमला देवी पत्नी बुधराम, संतोष देवी पत्नी बस्तीराम, जाति–मेधवाल,निवासी– काकोड़ा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 04.08.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान स्वंय अनुपस्थित। गैर सायलान की ओर से उसका पुत्र धनपत उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान बिमला देवी पत्नी बुधराम, संतोष देवी पत्नी बस्तीराम जाति–मेधवाल, निवासी–काकोड़ा द्वारा रोही मौजा काकोड़ा की भूमि ख.नं. 1030/260 के कुल रकबा 23.36 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.0091 है0 भूमि पर बाड़ा व पत्थर डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान की ओर से उसका पुत्र धनपत ने हाजिर होकर जवाब नोटिस पेश किया जिसके साथ में आवंटन अधिकारी चिड़ावा द्वारा जारी पट्टे की छायाप्रति पेश की है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु.जोहड़ है एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है। एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5रू. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में डाले गये पत्थरों को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत् गिरदावर हल्का को लिखा जावें।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं.......18.......पर
वर्ष 2021-22 में रुपये.....5/-.... कायम कि।
राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़